"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अगस्त 2002—भाद्र 6, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/77/2002/वाक/पांच (95).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की अनुसूची एक की प्रविष्टि 1 की अपेक्षानुसार राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-46-2000-विक-पांच (52), दिनांक 17-7-2000 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना में मालों की सूची में 55 के बाद निम्न जोड़ा जायेगा :—

56. लो लिफ्ट पैडल आपरेटेड पम्प (केबी पम्प)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2002

क्रमांक एफ-10/77/2002/वाक/पांच (95).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/77/2002/वाक/पांच (95), दिनांक 28-8-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 28th August 2002

NOTIFICATION

No. F-10/77/2002/CT/V(95).—In pursuance of the requirement under entry 1 of Schedule I of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby amends this departmental Notification No. A-3-46-2000-ST-V (52), dt. 17-7-2000, as given below :—

AMENDMENT

In the list of goods in the Notification after 55 following shall be added :—

56. Low lift paddel operated pump (KB Pump)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.